

प्रेस विज्ञप्तिथाना- जीयनपुरजिलाबदर अपराधी अवैध असलहा व कारतूस के साथ गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास—थाना जीयनपुर आजमगढ़ पर दिनांक 23.09.2022 को संजय राम पुत्र जूठन उर्फ जिवधन निवासी ग्राम छपरा सुल्तानपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध NIL/2022 धारा 3/4 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम पंजीकृत हुआ था जिसकी सुनवाई श्रीमान अपर जिला मजिस्ट्रेट आजमगढ़ महोदय के चल रही थी बाद सुनवाई श्रीमान अपर जिला मजिस्ट्रेट महोदय द्वारा अभियुक्त संजय राम पुत्र जूठन उर्फ जिवधन निवासी ग्राम छपरा सुल्तानपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ को दिनांक 10.04.2024 से 06 माह के लिये जनपद आजमगढ़ की सीमाओ मे प्रवेश न करने का आदेश पारित किया गया था। आदेश की प्रति अभियुक्त संजय राम को को दिनांक 23.04.2024 को तामिल करायी गयी थी।

गिरफ्तारी का विवरण— आज दिनांक 25/04/2024 को उ0नि0 सुभाष तिवारी मय हमराह को सूचना मिली कि संजय राम पुत्र जूठन उर्फ जिवधन निवासी ग्राम छपरा सुल्तानपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ जो जिला बदर है वह जिले से बाहर न रहकर अपने घर आता जाता रहता है तथा जिले मे ही रह रहा है इस समय रजादेपुर मोड़ से हरैया जाने वाले रास्ते पर है, इस सूचना पर तत्काल मौके पर पहुँचकर उक्त जिला अपराधी संजय राम पुत्र जुठन उर्फ जिवधन निवासी छपरा सुल्तानपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ को एक अदद तमन्चा 12 बोर व 01 जिन्दा कारतूस के साथ समय करीब 12:40 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया।

बरामदगी /गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0स0173/2024 धारा 10 गुण्डा नियंत्रण अधियम व मु0अ0स0 174/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया है गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त— संजय राम पुत्र जुठन उर्फ जिवधन निवासी छपरा सुल्तानपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

बरामदगी का विवरण:- एक अदद तमन्चा 12 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0स0 173/2024 धारा 10 गुण्डा नियमत्रण अधिनियम थाना जीयनपुर आजमगढ़

2. मु0अ0स0 174/2024 धारा 3/25 A ACT थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0स0 118/2021 धारा 147/148/149/151/152/153/186/307/308/323/325/332/333/336/341/353/427/435/ 504./506 भादवि व 7CLA ACT थाना जीयनपुर आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम- उ0नि0 सुभाष तिवारी मय हमराह थाना जीयनपुर आजमगढ़

थाना – रौनापारअगवा कर दुष्कर्म करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तारपूर्व की घटना-

दिनांक 18.04.24 को वादी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया था कि वादी की फुआ की लड़की वादी के घर पर रहकर पढ़ाई करती थी, दिनांक 18.04.24 को विद्यालय गयी थी अभी तक वापस नही आयी और उसका फोन भी बन्द है जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 148/24 धारा 363 भादवि0 बनाम अज्ञात पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ किया गया।

➡ विवेचना के दौरान पीड़िता की बरामदगी कर पीड़िता के बयान व मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा उपरोक्त मे धारा 376/363/366/120/506 भादवि व 4(2) पाक्सो एक्ट की बढोत्तरी की गयी तथा अभियुक्त बलवन्त पुत्र जगन्नाथ ग्राम देवरिया थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ का नाम प्रकाश मे आया।

गिरफ्तारी का विवरण- आज दिनांक 25.04.2 को उ0नि0 जितेन्द्र सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये अभियुक्त बलवन्त पुत्र जगन्नाथ ग्राम देवरिया थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ उम्र 24 वर्ष को बेलहिया ढाला से समय करीब 09:15 बजे गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 148/24 धारा 376/363/366/120/506 भादवि व 4(2) पाक्सो एक्ट थाना रौनापार आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त- बलवन्त पुत्र जगन्नाथ ग्राम देवरिया थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ उम्र 24 वर्ष।

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- उ0नि0 जितेन्द्र सिंह, का0 उपेन्द्र यादव, का0 अमरेश पासवान, का0 अंकित कुमार थाना रौनापार जनपद आजमगढ़।

थाना- कोतवाली

थाने का टॉप-10 व हिस्ट्रीशीटर अपराधी अवैध तमन्चा-कारतूस के साथ गिरफ्तार

आज दिनांक 25.04.24 को उ0नि0 रामकिशोर शर्मा मय हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान थाने का टॉप-10 अपराधी व हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त वामिक उर्फ वमिका पुत्र मुमताज निवासी टेढिया मस्जिद जालंधरी थाना कोतवाली आजमगढ़ उम्र 28 वर्ष को हर्षा की चुंगी से समय 04:10 बजे गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 01 तमन्चा 303 बोर व 1 जिन्दा कारतूस 303 बोर बरामद हुआ। गिरफ्तारी व बरादगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 243/24 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त का चाला मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

- 1- वामिक उर्फ वमिका पुत्र मुमताज निवासी टेढिया मस्जिद जालंधरी थाना कोतवाली आजमगढ़ उम्र 28 वर्षी
(टाप टेन/ HS No. 32ए)

बरामदगी- 01 तमन्चा नाजायज 303 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 303 बोरा

पंजीकृत अभियोग-

- 1- मु0अ0सं0 243/24 धारा 3/25 शस्त्र अधि. थाना कोतवाली आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास –

| क्र०सं० | मु0अ0सं० | धारा | थाना/जनपद |
|---------|----------|----------------------------------|----------------|
| 1 | 61/15 | 41/411/419/420 भादवि | कोतवाली आजमगढ़ |
| 2 | 119/15 | 401 भादवि | कोतवाली आजमगढ़ |
| 3 | 171/15 | 379/411 भादवि | देवगांव आजंगढ़ |
| 4 | 269/15 | 41/411/313/314 भादवि | कोतवाली आजमगढ़ |
| 5 | 70/16 | 354/147/323/504/504/506 भादवि | कोतवाली आजमगढ़ |
| 6 | 320/16 | 41/411/419/420/467/468/471 भादवि | कोतवाली आजमगढ़ |
| 7 | 67/17 | 3/25 ए एक्ट व 411 भादवि | कोतवाली आजमगढ़ |
| 8 | 165/17 | 41/411/419/420 भादवि | कोतवाली आजमगढ़ |
| 9 | 165/20 | 8/20 एनडीपीएस एक्ट | कोतवाली आजमगढ़ |
| 10 | 166/20 | 3/25 आर्म्स एक्ट | कोतवाली आजमगढ़ |
| 11 | NILL/23 | 3(1) गुण्डा एक्ट | कोतवाली आजमगढ़ |

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 रामकिशोर शर्मा, हे0कां0 हरेन्द्र, कां0 विवेक शर्मा थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़।

थाना- रानी की सराय
किशोरी को अगवाकर दुष्कर्म करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना- दिनांक 19.04.2024 को वादिनी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया था कि अज्ञात व्यक्ति वादिनी की लडकी को बहला फुसला कर भगा ले गया जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 101/2024 धारा 363 भादवि0 बनाम नाम पता अज्ञात पंजीकृत किया गया ।

➡ विवेचना के दौरान पीडिता को बरामद कर मुकदमा उपरोक्त मे धारा 376/366 भादवि व धारा 3/4 पास्को एक्ट की बढोत्तरी की गयी, तथा अभियुक्त चन्द्रशेखर पुत्र बुझारत राम नि0 गहुनी थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़ का नाम प्रकाश मे आया ।

गिरफ्तारी का विवरण- आज दिनांक 25.04.2024 को व0उ0नि0 गोपाल जी मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये अभियुक्त चन्द्रशेखर पुत्र बुझारत राम नि0 गहुनी थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़ को रुदरी मोड से समय करीब 10.55 बजे गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 101/2024 धारा धारा 363/376/366 भादवि व 3/4पास्को एक्ट थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त- चन्द्रशेखर पुत्र बुझारत राम नि0 गहुनी थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 19 वर्ष।

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- उ0नि0 गोपाल जी, का0 संदीप कुमार थाना रानी की सरा जनपद आजमगढ़।

थाना सरायमीर

अन्तर्प्रान्तीय लुटेरा व D-27 के गैंग लीडर, जालसाज तथा जनपद स्तर पर चिन्हित टाप टेन अपराधी मो0 उमेर उर्फ बादशाह ने मा0 न्यायालय में किया आत्मसमर्पण

पूर्व की घटना- शातिर अपराधी मोहम्मद उमेर उर्फ बादशाह पुत्र शमशाद मुस निवासी संजरपुर थाना सरायमीर, आजमगढ़ के द्वारा पूर्व में लूट व रंगदारी की कई घटनाए की गयी थी जिनका विवरण निम्नवत है-

➡ दिनांक 10.06.2015 को अभियुक्त उमैर द्वारा अपने साथियो इन्द्रभान उर्फ इन्दु व रईश के साथ मिलकर वशिक अहमद पुत्र याकूब निवासी पवई लाडपुर थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ जो ईसार पेट्रोल पम्प के मैनेजर थे का तीन लाख 81 हजार रुपया लूट लिया गया जिसके सम्बन्ध मे मु0अ0सं0- 103/15 धारा 392 भादवि पंजीकृत कराया गया था अभियुक्तो का नाम विवेचना से प्रकाश मे आया ।

➡ दिनांक 27.16.2015 को अभियुक्त उमैर द्वारा सह अपराधी मो0 सारिक व मो0 सलमान के साथ मिलकर वादी मुकदमा संजय कुमार पुत्र जियालाल निवासी अरारा थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ की बहन का चैन छिनकर भाग गये जिसके सम्बन्ध मे थाना सरायमीर पर मु0अ0सं0- 115/2015 धारा 392 भादवि पंजीकृत हुआ तथा विवेचना से धारा 411 भादवि की बढोत्तरी हुई अभियुक्तों का नाम विवेचना से प्रकाश मे आया ।

➡ वादी बेलाल अहमद पुत्र अब्दुल अब्बल निवासी चकिया थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ अभियुक्तगण उमैर व सलमान द्वारा मोबाईल फोन से 40 हजार रुपया रंगदारी मांगी गयी और न देने पर हत्या की धमकी दी गयी जिसके सम्बन्ध मे थाना सरायमीर पर मु0अ0सं0- 118/17 धारा 386/506 भादवि पंजीकृत हुआ जिसमें बाद विवेचना आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया ।

➡ इसके विरुद्ध मु0अ0सं0 47/21 धारा 419/420/399/352/402 भा0दवि0 व 3/4/25 आर्मस एक्ट थाना मानकचौक जिला जयपुर राजस्थान मे पंजीकृत है । जिसमे फरार चल रहा है।

➡ अभियुक्त मोहम्मद उमेर उर्फ बादशाह उपरोक्त एक शातिर अपराधी है। अभियुक्त के विरुद्ध लूट, रंगदारी, धोखाधड़ी, हत्या का प्रयास अन्य जघन्य अपराधों में जनपद आजमगढ़ व राजस्थान में कुल 19 मुकदमें पंजीकृत है।

➡ उपरोक्त मुकदमों में अभियुक्त उमैर मा0 न्यायालय से जमानत के बाद फरार चल रहा था तथा जमानत पर बाहर रहकर इसके द्वारा D-27 गैंग का संचालन किया जा रहा था तथा आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा था, पुलिस के लगातार दबिश में दबाव के कारण इसके द्वारा दिनांक 24.04.2024 को मा0 न्यायालय के समक्ष निम्न लिखित मुकदमों में आत्मसमर्पण किया गया है ।

| क्र0सं0 | मु0अ0सं0 | मु0नं0 | धारा | थाना | जनपद |
|---------|----------|---------|------------------|---------|--------|
| 1 | 132/09 | 1019/09 | 4/25 आर्म्स एक्ट | सरायमीर | आजमगढ़ |
| 2 | 103/15 | 4028/15 | 392 भादवि | सरायमीर | आजमगढ़ |
| 3 | 115/15 | 114/16 | 392/411 भादवि | सरायमीर | आजमगढ़ |
| 4 | 125/15 | 8014/17 | 174A भादवि | सरायमीर | आजमगढ़ |
| 5 | 118/17 | 5251/17 | 386/506 भादवि | सरायमीर | आजमगढ़ |

आपराधिक इतिहास- मो0 उमैर उर्फ बादशाह पुत्र शमशाद निवासी संजरपुर थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ ।

1. मु0अ0सं0 84/06 धारा 147, 149, 323, 506 भादवि थाना सरायमीर
2. मु0अ0सं0 132/09 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना सरायमीर
3. मु0अ0सं0 170/15 धारा ¾ गुण्डा अधिनियम थाना सरायमीर
4. मु0अ0सं0 93/15 धारा 392 भादवि थाना निजामाबाद
5. मु0अ0सं0 125/15 धारा 174ए भादवि थाना सरायमीर
6. मु0अ0सं0 115/15 धारा 392, 411 भादवि थाना सरायमीर
7. मु0अ0सं0 103/15 धारा 392, 411 भादवि थाना सरायमीर
8. मु0अ0सं0 74/15 धारा 147, 148, 30, 504 भादवि व 3(1)(2)5 SC /ST एक्ट व 7 सीएलए थाना सरायमीर आजमगढ़
9. मु0अ0सं0 102/16 धारा 419, 120, 399, 352. 402. भादवि व 3/4/25 आर्म्स एक्ट थाना माजक चौक जयपुर
10. मु0अ0सं0 84/16 धारा 3(1) गैगैस्टर एक्ट
11. मु0अ0सं0 185/18 धारा 174ए भादवि थाना रानी की सरायमीर आजमगढ़
12. मु0अ0सं0 113/18 धारा 307 भादवि थाना रानी की सरायमीर आजमगढ़
13. मु0अ0सं0 099/18 धारा 395, 421 भादवि थाना रानी की सराय
14. मु0अ0सं0 128/18 धारा 307/41/411 भादवि थाना सरायमीर
15. मु0अ0सं0 63/19 धारा 147, 148, 323, 324, 353 भादवि थाना सिधारी आजमगढ़
16. मु0अ0सं0 नील/22 धारा गुण्डा अधिनियम
17. मु0अ0सं0 197/22 धारा 3(1) up गैगैस्टर एक्ट थाना सरायमीर आजमगढ़
18. मु0अ0सं0 102/16 धारा 419/420/399/352/402 भादवि व 3/4/25 आर्म्स एक्ट थाना मानकचौक जयपुर राजस्थान
19. 146/24 धारा 323/504/506 भादवि व 3(1) द, 3(1)ध, 3(2)va sc/st एक्ट थाना निजामबाद आजमगढ़।

थाना- महाराजगंज

लगातार फरार अभियुक्त के घर पर 82 सीआरपीसी की नोटिस चस्पा

दिनांक 24/06/23 को वादिनी मुकदमा ग्राम शिवपुर थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ के लिखित तहरीर पर थाना महाराजगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0 198/23 धारा 363/366/504/506 भादवि बनाम अभियुक्त लखन्द्र पुत्र सरमुख राम ग्राम शिवपुर थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ पंजीकृत किया गया था। मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अपृहता व अभियुक्त लखन्द्र पुत्र सरमुख राम के घर पर व मिलने के सम्भावित स्थानो पर बार बार दबिश दिया गया परन्तु अभियुक्त उपरोक्त न तो गिरफ्तार हो सका न ही मा0न्याया0 में आत्मसमर्पण किया मा0न्याया0 ACJM 11 आजमगढ़ द्वारा अभियुक्त के खिलाफ पूर्व में एनबीडबलू जारी किया गया था। जारी होने के उपरान्त बार बार दबिश देने के बावजूद भी अभियुक्त गिरफ्तार नहीं हो सका दिनांक 22/04/24 को मा0न्याया0 द्वारा अभियुक्त लखन्द्र उपरोक्त के खिलाफ धारा 82 सीआरपीसी का प्रोसेस जारी किया गया।

आज दिनांक 25/04/24 को व0उ0नि0 दल प्रताप सिंह मय हमराह हे0का0 सुभाष चन्द्र यादव के साथ 82 सीआरपीसी की तामिला हेतु ढूंगडुगी बजाने वाले व्यक्ति रमजान अहमद पुत्र शैकत अली ग्राम सैदपुर थाना महाराजगंज आजमगढ़ को साथ में लेकर अभियुक्त के घर पर उपस्थित आया रमजान अहमद उपरोक्त द्वारा डुगडुगी बजाई गयी। अभियुक्त के घर के मुख्य भाग पर 82 सीआरपीसी की नोटिस को चस्पा कर मा0न्याया0 के आदेश से ग्रामवासियों को अवगत कराया गया।